

परिग्रह - पत्र

- (1) योजना का नाम:- तेलीबाग (वृन्दावन) भूमि एवं गृह स्थान योजना संख्या-4, लखनऊ।
 - (2) ग्राम का नाम:- कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर तहसील व जिला- लखनऊ।
- उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना सं० 3722 (भू०अ०)-2/1105 (योजना) दि० 27.02.2004 उ०प्र० गजट प्रकाशन दि० 03.04.2004 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति सं० 970/9 आ-2-2004-05 एच०बी०/2002 लखनऊ दिनांक 21.07.2004 के अन्तर्गत धारा-17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि में से 0.539 हे० भूमि का कब्जा दिया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

आज दिनांक-18-05-2017 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ जरिये अभियंता निर्माण खण्ड-11 वृन्दावन योजना लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है।

ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे० में	अन्य विवरण
कल्ली पश्चिम	1081	0.024	
	1142क	0.009	
	1519	0.506	
	योग	0.539	

- (1) उपरोक्त भूमि के काश्तकार की बाग बाहर एवं फसल को पकने पर उठा लेनी की अनुमति दी जाती है, अब कोई फसल बोने एवं मिट्टी बेचने का अधिकार न होगा।
- (2) उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ (अर्जन निकाय) से आज दिनांक 18-05-2017 को हस्तान्तरित किया गया, मौजूद परिसम्पत्तियों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- (3) नहर, सड़क, ग्राम समाज एवं निर्माण की भूमि कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- (4) उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रे, मन्दिर व अन्य किसी धार्मिक स्थल की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।
- (5) उक्त आराजी किल्ली न्यायालय अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त किये जाने पर कब्जा हस्तान्तरण शून्य मानी जायेगी।
- (6) यदि उपरोक्त खसरा संख्याओं में किसी खसरा संख्या/क्षेत्रफल का कब्जा पूर्व में दिया जा चुका हो तो उस खसरा संख्या/क्षेत्रफल का कब्जा शून्य माना/समझा जाय।

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)

अमीन

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक 18-05-2017 को प्राप्त किया।

अवर अभियन्ता

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

प्रतिहस्ताक्षरित

M 6

(अमर०पी० सिंह)

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

सहायक अभियन्ता

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

प्रतिहस्ताक्षरित

(अधिशर्मा अभियन्ता)

निर्माण खण्ड-11

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

परिग्रह-पत्र

1- योजना का नाम : तेलीबाग वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ।

2- ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-3722 भू0अ0-2-1105 (योजना) दिनांक 27/02/2004 उ0प्र0 गजट प्रकाशन दिनांक 03/04 /2004 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति संख्या-970/9 /आ-2-2004-5 एच0बी0/2002, लखनऊ दिनांक 21/07/2004 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ग्राम कल्ली पश्चिम चकबन्दी में होने के फलस्वरूप संशोधित गजट धारा-33 व 55 का शासनादेश संख्या-1608/8-2-2007- 5एच0बी0 /2002 दिनांक 16.08.2007 तथा संशोधित प्रकाशन की स्वीकृति की विज्ञप्ति संख्या- 1686/एल0ए0सी0/एच0बी0 दिनांक 07.07.2008 की संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के अन्तर्गत धारा-7/17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 28.07.2011 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है। जिसका विवरण निम्न है:-

ग्राम-कल्ली पश्चिम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे०)	अन्य विवरण
	1062	0.539	
	1081	0.300	
	1088ख	0.126	
	1129	0.246	
	1130	0.274	
	1134	0.300	
	1089मि	0.528	
	990मि	2.428	
	1150मि	1.771	
	योग :-	6.512	

नोट :-

- 1- उपरोक्त भूमि के काश्तकार को बाग-बहार एवं फसल को पकने पर उठा लेने की अनुमति दी
- 2- उपरोक्त खसरा नम्बरों की खुली भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन)
- 3- नहर, सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- 4- उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रें, मन्दिर, मस्जिद व अन्य किसी धार्मिक स्थल तथा सीलिंग आदि की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

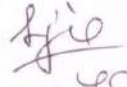
अवर अमि
Sheet9

5- उक्त आराजी मे किसी न्यायालय अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त किये जाने पर कब्जा हस्तान्तरण शून्य माना जायेगा।


(कौशल किशोर श्रीवास्तव)
अमीन,

कार्या० विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
उ०प्र० आवास एवं विकास पार्षद
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

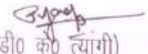
उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक २०-७-११ को प्राप्त किया।


(राजेश कुमार वर्मा)
अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड-११,
उ०प्र० आवास एवं विकास पार्षद,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।


(पवन वर्मा)
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-११
उ०प्र० आवास एवं विकास पार्षद,
वृन्दावन योजना लखनऊ।

प्रतिहस्ताक्षरित


(बाबूलाल श्रीवास्तव) २०-०७-११
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
उ०प्र० आवास एवं विकास पार्षद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।


(डी० के० त्यागी)
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-११
उ०प्र० आवास एवं विकास पार्षद,
वृन्दावन योजना लखनऊ।

परिग्रह-पत्र

1- योजना का नाम : तेलीबाग वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ।

2- ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-8722 भू0अ0-2-1105 (योजना) दिनांक 27/02/2004 उ0प्र0 गजट प्रकाशन दिनांक 03/04 /2004 के क्रम में शासन की विज्ञापित संख्या-970/9 /आ-2-2004-5 एच0बी0/2002, लखनऊ दिनांक 21/07/2004 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ग्राम कल्ली पश्चिम चकबन्दी में होने के फलस्वरूप संशोधित गजट धारा-33 व 55 का शासनादेश संख्या-1608/8-2-2007- 5एच0बी0 /2002 दिनांक 16.08.2007 तथा संशोधित प्रकाशन की स्वीकृति की विज्ञापित संख्या- 1686/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 07.07.2008 की संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के अन्तर्गत धारा-7/17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 28.07.2011 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है। जिसका विवरण निम्न है:-

ग्राम-कल्ली पश्चिम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे०)	अन्य विवरण
	1062	0.539	
	1081	0.300	
	1088ख	0.126	
	1129	0.246	
	1130	0.274	
	1134	0.300	
	1089भि	0.528	
	990भि	2.428	
	1150भि	1.771	
	योग :-	6.512	

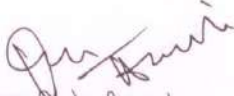
नोट :-

- 1- उपरोक्त भूमि के काश्तकार को बाग-बहार एवं फसल को पकने पर उठा लेने की अनुमति दी
- 2- उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन
- 3- नहर, सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- 4- उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रें, मन्दिर, मस्जिद व अन्य किसी धार्मिक स्थल तथा सीलिंग आदि की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।

kailli

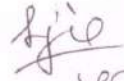
अवर अभि
Sheet9

5- उक्त आराजी मे किसी न्यायालय अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त किये जाने पर कब्जा हस्तान्तरण शून्य माना जायेगा।


(कौशल किशोर श्रीवास्तव)
अमीन,

कार्या० विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक 28-7-11 को प्राप्त किया।

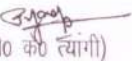

(राजेश कुमार दहिया)
निर्माण खण्ड-11,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।


(राजेश कुमार दहिया)
अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड-11,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।


(पवन दहिया)
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-11,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना लखनऊ।

प्रतिहस्ताक्षरित


(बाबूलाल श्रीवास्तव) 28-07-11
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।


(डी० के० त्यागी)
अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-11
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना लखनऊ।

पारग्रह-पत्र

1- योजना का नाम : तेलीबाग वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ।

2- ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम, परगना-विजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-3722 गू0अ0-2-1105 (योजना) दिनांक 27/02/2004 उ0प्र0 गजट प्रकाशन दिनांक 03/04 /2004 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति संख्या-970/9 /आ-2-2004-5 एच0बी0/2002, लखनऊ, दिनांक 21/07/2004 के अर्जन अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ग्राम कल्ली पश्चिम चकवन्दी में होने के फलस्वरूप संशोधित गजट धारा-33 व 55 का शासनादेश संख्या-1608/6-2-2007- 5एच0बी0 /2002 दिनांक 16.08.2007 तथा संशोधित प्रकाशन की स्वीकृति की विज्ञप्ति संख्या- 1685/एल0ए0सी0/एच0बी0 दिनांक 07.07.2008 की संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के अन्तर्गत धारा-7/17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 28.07.2011 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है। जिसका विवरण निम्न है:-

ग्राम-कल्ली पश्चिम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे०)	अन्य विवरण
	1062	0.539	
	1081	0.300	
	1088ख	0.126	
	1129	0.246	
	1130	0.274	
	1134	0.300	
	✓1089मे	0.528	
	✓990मे	2.428	
	✓1150मे	1.771	
	योग :-	6.512	

नोट :-

- 1- उपरोक्त भूमि के काश्तकार को बाग-बहार एवं फसल को पकने पर उठा लेने की अनुमति दी
- 2- उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन
- 3- नहर, सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- 4- उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रें, मन्दिर, मस्जिद व अन्य किसी धार्मिक स्थल तथा सीलिंग आदि की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।

kalli


अवर अभि
Sheet9

हस्तान्तरण शून्य माना जायेगा।

कलकत्ता, दिनांक २०/०७/२०११

(कौशल किशोर श्रीवास्तव)

अभियन्ता,

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक २०-७-११ को प्राप्त किया।

(सुखदेव सिंह)

निर्माणाधीन

(राजेश कुमार वर्मा)

अवर अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-११,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

वृन्दावन योजना, लखनऊ।

(पवन कुमार)

सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-११

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

वृन्दावन योजना लखनऊ।

प्रतिहस्ताक्षरित

(बाबूलाल श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी (गू०अ०)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

(डी० के० त्यागी)

अधिशारी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-११

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

वृन्दावन योजना लखनऊ।

परिग्रह-पत्र

1- योजना का नाम : तेलीबाग वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ।

2- ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-3722 मू०अ०-2-1105 (योजना) दिनांक 27/02/2004 उ०प्र० गजट प्रकाशन दिनांक 03/04/2004 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति संख्या-970/9 /आ-2-2004-5 एच०बी०/2002, लखनऊ दिनांक 21/07/2004 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ग्राम कल्ली पश्चिम चकबन्दी में होने के फलस्वरूप संशोधित गजट धारा-33 व 55 का शासनादेश संख्या-1608/8-2-2007- 5एच०बी० /2002 दिनांक 16.08.2007 तथा संशोधित प्रकाशन की स्वीकृति की विज्ञप्ति संख्या- 1686/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 07.07.2008 की संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के अन्तर्गत धारा-7/17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 10.01.11 को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है। जिसका विवरण निम्न है:-

ग्राम-कल्ली पश्चिम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	अन्य विवरण
	927	0.024	
	929	0.329	
	931	0.118	
	932	0.076	
	933	0.031	
	934	0.031	
	935	0.033	
	936	0.022	
	937	0.057	
	938	0.095	
	939	0.016	
	940	0.021	
	944	0.031	
	949	0.034	
	950	0.126	
	951	0.120	
	952	0.145	
	953	0.139	
	954	0.158	
	955	0.006	
	957	0.028	
	958	0.057	

	1000	0.126	
	1004	0.428	
	1005	0.651	
	1007	0.152	
	1008	0.423	
	1009	0.038	
	1010	0.019	
	1011	0.013	
	1012	0.085	
	1013	0.051	
	1014	0.069	
	1015	0.278	
	1016	0.003	
	1018	0.082	
	1019	0.095	
	1021	0.025	
	1022	0.069	
	1023	0.006	
	1024	0.139	
	1025	0.066	
	1026	0.031	
	1027	0.025	
	1028	0.025	
	1029	0.019	
	1030	0.069	
	1031	0.069	
	1032	0.041	
	1034	0.422	
	1035	0.350	
	1037	0.161	
	1038	0.413	
	1040	0.223	
	1041	0.459	
	1042	0.423	
	1044	0.363	
	1045	0.325	
	1046	0.278	
	1047	0.126	
	1049	0.272	
	1050	0.038	
	1051	0.031	

Sje

Rus

Amalli

b.f.

1052	0.038	
1053	0.041	
1054	0.161	
1055	0.069	
1056	0.135	
1059	0.445	
1060	0.271	
1061	0.950	
1064	0.487	
1066	0.111	
1067	0.094	
1070	0.910	
1075	7.770	
1077	0.197	
1080	0.025	
1082	0.522	
1084	0.408	
1088	0.253	
1088m	0.126	
1089m	0.114	
1089m	0.101	
1090	0.253	
1091m	0.063	
1091m	0.253	
1092	0.012	
1093	0.013	
1094	0.057	
1096	0.214	
1098	0.272	
1100	0.116	
1101	0.209	
1102	0.144	
1103	0.200	
1105	0.126	
1110	0.391	
1112	0.207	
1113	0.459	
1115	0.927	
1116	0.079	
1117	0.272	
1118	0.856	

Sjio

Man kalli

h.f.

5- उक्त आराजी मे किसी न्यायालय अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त किये जाने पर कब्जा हस्तान्तरण शून्य माना जायेगा।


(कौशल किशोर श्रीवास्तव)

अमीन,

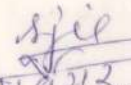
कार्या० विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक को प्राप्त किया।


(राजेश कुमार वर्मा)

अवर अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-11,


उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

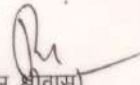

(पवन वर्मा)

सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-11,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

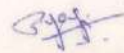
प्रतिहस्ताक्षरित


(बाबूलाल श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी(भू०अ०),

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।


(डी० के० त्यागी)

अधिशाली अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-11,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।